(पूर्व प्रसारित बैठक कार्यवाही विवरण
दिनांक 28.01.2026 एतद्‌द्वारा निरस्त)

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

एफ33(8)खा.वि./प्रोक्यों/SLC/2026 जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांक

संशोधित वी.सी. बैठक कार्यवाही विवरण

प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद के क्रम में परिवहन एवं हैंडलिंग हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों व मॉडल टेंडर फॉर्म (एमटीएफ) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में परिवहन एवं मंडी लेबर चार्जेज हेतु गठित राज्य स्तरीय समितियों की शासन सचिव (खाद्य) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23/01/2026 को अपरान्ह 03.00 बजे एनआईसी वीसी रूम कक्ष संख्या 4126 में वीसी के माध्यम से संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण **परिशिष्ट–अ** पर उपलब्ध है।

बैठक में निम्नानुसार चर्चा की गयी :–

1. केंद्र सरकार के निर्देश है कि किसानों से गेहूं की खरीद उपरांत उन्हें 48 घंटे के अंदर आवश्यक रूप से उनके बैंक खातों में सीधा भुगतान किया जाना चाहिए, परंतु वास्तविकता में यह देखने में आया है कि 48 घंटे का समय, उस समय से गिना जाता है जब किसान के गेहूं की तुलाई पश्चात् किसान को विक्रय पर्ची (Purchase Slip) प्रदान की जाती है, जिस Slip से ही स्टेट पोर्टल (SFPP) पर समय की गणना प्रारम्भ होती है। किसान जब मंडी में गेहूं लाता है, उस समय से लेकर उसकी तुलाई होने तक का जो समय है, उसकी गणना कहीं पर भी नहीं की जा रही है। अतः वास्तविकता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद के दौरान किसानों को भुगतान में 48 घंटे से लेकर 48 दिन तक का समय लग रहा है।

2. राज्य सरकार की मंशा है कि इस व्यवस्था को सुधारा जाए व किसान को यथासंभव जल्द से जल्द गेहूं को मंडी में लाने पर भुगतान किया जाए। इस हेतु शासन सचिव, खाद्य विभाग व सभी क्रय एजेंसियों के अधिकारियों के साथ जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में दिनांक 10.01.2026 को समस्त हित धारकों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंडी बोर्ड के अधिकारी, आढ़तिया संगठन के प्रतिनिधि, लेबर यूनियन के प्रतिनिधि, ट्रांसपोर्टरों के प्रतिनिधि, जिला प्रशासन इत्यादि शामिल थे। उक्त बैठक में चर्चा उपरांत यह सुझाव सामने आया कि मंडी में जितनी लेबर काम करती है उनके भुगतान की दरें, राजस्थान एपीएमसी एक्ट व उसके अधीन बने नियमों व उपविधियों के तहत प्रत्येक मंडी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए तय की जाती है। जिससे वहां की स्थानीय लेबर व समस्त हितधारक संतुष्ट रहते हैं और यह भी सुझाव आया कि राज्य सरकार की गेहूं खरीद के अलावा मंडी में जिस जिन्स का व्यापार होता है, उस व्यापार में उन्हीं दरों के अनुरूप लेबर को भुगतान किया जाता है। समस्त हितधारकों द्वारा सहमति से यह सुझाव दिया गया कि पूर्व में चल रही हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में जो हैंडलिंग का पार्ट है, जैसे कि कांटे से कट्टे की उतराई, कट्टे की धागों से बैग के साथ मशीन सिलाई एवं मार्का लगाई तथा ट्रक में लोडिंग करना। उक्त तीनों कामों को यदि वहां के आढतियां को सुपुर्द किया जाए तो गेहूं के उठाव में तेजी आएगी। जल्द से जल्द किसान को भुगतान किया जा सकेगा।

RajKaj Ref No.:
20464480

Signature valid
Digitally signed by Brij Bhushan Sharma
Designation : Financial Advisor
Date: 2026.02.11 12:04:56 IST
Reason: Approved

उक्त संदर्भ में एसएलसी की बैठक में विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए जाते हैं :–

(i) मंडी में किये जाने वाले कार्यों {supply of labour, stenciling of gunnies with color as per color code at his cost, making the bags of standard weight on beam scale/weighing balance, unloading of bags from beam scales/weighing balance, providing of standard thread, double line machine stitching of foodgrain bags, carry the bags for Katcha Stacking in countable position (if necessary), takeout the bags from stacks/scale point for loading them into vehicles, Loading/Unloading of gunnies (Jute) / HDPE bales from trucks/any other commercial vehicles in mandies (stacking at proper place in countable condition and keep them in his safe custody till the same are utilized/returned. Retaining of Iron Wrappers and Gunny/HDPE wrappers)} को हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिले की समस्त मंडियों में जहां–जहां आढतियां काम करते हैं, वर्ष 2026 से यह काम आढ़तियों के मार्फत करवाया जाएगा एवं संबंधित एजेंसियां अपने कांट्रेक्टर से केवल ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करवाएंगी।

(ii) इस हेतु संयुक्त निदेशक मंडी बोर्ड गंगानगर एवं हनुमानगढ़ को निर्देशित किया गया कि वे तत्काल अपने अपने जिले की समस्त मंडियों की निर्धारित मंडी लेबर दरों बाबत सूचना भेजें। उपरोक्त दरों को उस मंडी के टारगेट से गुणा करते हुए एक वेटेड एवरेज मंडी लेबर रेट तय की जाए और उसके अनुसार उसे प्रोविजनल कॉस्ट शीट में शामिल कर भारत सरकार को भेजा जाए।

(iii) उपरोक्त दरें जो राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड भेजेगा, उन्हें एसएलसी द्वारा अनुमोदित कर खाद्य एव सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, के पत्र क्रमांक 192(14)/2018–एफ.सी.ए/सी.एस. दिनांक 06.05.2019, 191(1)/2019–एफसीए/सीएस पार्ट फाइल 1 दिनांक 24.02.2020 एवं 199(46)/2024–एफ.सी.ए/सी.एस. दिनांक 29.08.2024 की गाईडलाइन के अनुसार नोटिफाई किया जायेगा।

(iv) वेटेड एवरेज के आधार पर तय की गई मंडी लेबर रेट एक बजट अनुमान हेतु इस्तेमाल की जा रही है, परंतु एजेंसियों को मंडी लेबर रेट का वास्तविक भुगतान उपरोक्त वर्णित नोटिफाइड दरों के अनुरूप किया जाएगा। भारत सरकार को जो प्रोविजनल कॉस्ट शीट भेजी जा रही है, उसमें उपरोक्तानुसार दी गई व्यवस्था को स्पष्ट रूप से अंकित कर उसका अनुमोदन लिया जावें।

(v) यह उपरोक्त व्यवस्था पायलट बेसिस पर रबी विपणन सीजन 2026 से हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिले की समस्त मंडियों पर लागू होगी व इसे आगामी वर्षों में शेष राजस्थान में प्रभावी किया जाएगा।

Signature valid

Digitally signed by Brij Bhushan Sharma
Designation : Financial Advisor
Date: 2026.02.11 12:04:56 IST
Reason: Approved

(vi) महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अवगत कराया गया कि हैंडलिंग कार्यों के एवज में भुगतान जारी करने हेतु, आढ़ती को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया जाए :–

a) EPF/ESIC deposition challans for the relevant period;
b) Proof of online/digital payment made to the labourers; and
c) Labour attendance register.

इसमें समस्त मंडियों के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित आढतिया ईएसआई, जीपीएफ इत्यादि का नियमानुसार भुगतान करें एवं इस बात का शपथ पत्र भी मय विस्तृत सूचना संबंधित एजेंसी को पेश करेंगे।

(vii) महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत हैंडलिंग एवं परिवहन कार्य विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, अतः हैंडलिंग एवं परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की स्टॉक की कमी या हानि के लिए उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना आवश्यक है।

(viii) Exiting HTA MTF विभिन्न कार्यों के निर्वहन में देरी/कोताही के चलते संबंधित Handling & Transport Agent से recovery किये जाने का भी प्रावधान/उल्लेख है:–

S.No.	Particular	Rate (Rs./per bag)
1.	Hand-stitching/Poor stitching/ Single stitching/use of sub-standard thread by Agent	2.00 (Rs Two Only)
2.	Poor stencilling/ Non stencilling (Absence of Marka on bag)/illegible stencilling	1.00 (Rs One Only)
3.	Without prejudice to the generality of the foregoing, it is a further condition of the contract that in the event of failure of the HTA to provide the adequate number of trucks per day as per indented quantity by the Divisional Manager or any other officer/officials acting on his behalf, the HTA will be liable to pay the corporation Liquidated Damages @ Rs 60/- (Rs. SIXTY ONLY) per MT for non-lifted quantity against the indented quantity which the parties to the contract having agreed to as a reasonable estimate of the losses to the Corporation arising on account of such failure.	
4.	HTA will maintain proper accounting of gunnies to be consumed for filling of Foodgrains in such a way that not more than 1000 bags remain loose after completion of purchase, failing which a recovery @50/- per 500 loose bags (Rs. Fifty Per 500 Loose bags) shall be made from HTA beyond 1000 loose bags. Also HTA will reconcile the gunny account with the Quality Inspector's record, posted at mandi on weekly Basis. In Case of shortfall in gunnies returned back by the HTA after Consumption against gunnies given to him, a recovery @twice the cost of empty gunny (with GST as applicable) for such shortfall shall be made from HTA.	

Signature valid
Digitally signed by Brij Bhushan Sharma
Designation : Financial Advisor
Date: 2026.02.11 12:04:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20464480

अब चूंकि इन कार्यों का निर्वहन आढतियों द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में उल्लेखित कार्यों के निर्वहन में देरी/कोताही के चलते कार्य हानि बाबत रिकवरी आढतियों से किये जाने का स्पष्ट रूप से उल्लेखित किये जाने का प्रावधान किया जाना है।

उक्त बिन्दु को आगामी एसएलसी की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।

(ix) महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा कई क्रय केंद्रों पर निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, तो उन्हें इस बार की छूट दी गई कि जहां–जहां पर निविदाएं आमंत्रित हो चुकी हैं, वहां पर पुरानी चल रही व्यवस्था के अनुरूप कार्य कर सकेंगे, परंतु यदि उनमें से कहीं पर निविदा असफल होती है, तो नई निविदा उपरोक्त नई व्यवस्था के अनुरूप ही की जाएगी।

(x) हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में आढ़त की ऐसी मंडियों में, जहाँ हैंडलिंग का कार्य आढ़तियों के माध्यम से किया जाना है, के लिए एसएलसी द्वारा पूर्व में अनुमोदित मॉडल टेंडर फॉर्म (एमटीएफ) को संशोधित कर हैंडलिंग से सम्बंधित भाग को विलोपित किये जाने तथा शेष केन्द्रों पर पूर्वानुसार अनुमोदित MTF (परिवहन व हैंडलिंग) अनुसार ही कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

तत्पश्चात बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डॉ. ब्रज भूषण शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (उत्तर), भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय (उत्तर) नोएडा।
3. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, उदयपुर/कोटा।
4. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजफेड/तिलम संघ/राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम), परिवहन मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि), कार्यालय श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
10. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
11. उपायुक्त (पंचम), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान।
12. जिला रसद अधिकारी (उपार्जन), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. राज्य प्रमुख, नाफेड, जयपुर।
15. राज्य प्रमुख, एनसीसीएफ, जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Brij Bhushan Sharma
Designation : Financial Advisor
Date: 2026.02.11 12:04:56 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट–अ

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण :–

1. श्री अम्बरीष कुमार, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर। (अध्यक्ष महो.)
2. कार्यकारी निदेशक (उत्तर), भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय (उत्तर) नोएडा द्वारा नामित प्रतिनिधि। (परिवहन/मंडी लेबर समिति सदस्य) (वीसी के माध्यम से)
3. श्री बचनेश अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, राजफेड, जयपुर। (वीसी के माध्यम से)
4. श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रबंध निदेशक, तिलम संघ, जयपुर।
5. प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर। (वीसी के माध्यम से)
6. श्री एस. के. चौरसिया, महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, जयपुर। (परिवहन/मंडी लेबर समिति सदस्य) (वीसी के माध्यम से)
7. श्रीमती पूनम प्रसाद सागर, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. डॉ. ब्रज भूषण शर्मा, वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर। (परिवहन/मंडी लेबर समिति सदस्य)
9. श्री महावीर प्रसाद व्यास, उपायुक्त (पंचम), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर के प्रतिनिधि। (मंडी लेबर समिति सदस्य)
11. श्री प्रदीप कुमार झां, संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि), कार्यालय श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर। (मंडी लेबर समिति सदस्य) (वीसी के माध्यम से)
12. श्री अमित कुमार तनेजा, राज्य प्रमुख, नाफेड, जयपुर। (वीसी के माध्यम से)
13. श्री मंदीप गौरेय, उप महाप्रबंधक (उपार्जन), भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
14. श्री बी.एल. मीणा, उप महाप्रबंधक (वित्त), भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
15. श्री अजीत मित्तल, महाप्रबंधक, तिलम संघ, जयपुर। (वीसी के माध्यम से)
16. श्री राजेश वर्मा, तकनीकी निदेशक, NIC प्रकोष्ठ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
17. मधु शर्मा, राज्य प्रमुख, NCCF जयपुर। (वीसी के माध्यम से)
18. श्री अमित, प्रबंधक, एनसीसीएफ, जयपुर। (वीसी के माध्यम से)
19. जिला रसद अधिकारी, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़। (वीसी के माध्यम से)
20. संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, श्रीगंगानगर मंडल। (वीसी के माध्यम से)

Signature valid

Digitally signed by Brij Bhushan Sharma
Designation : Financial Advisor
Date: 2026.02.11 12:04:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20464480